भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2065

11 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

पीएमएवाई-यू आवासों का अधिभोग

†2065. कु. सुधा आर.:
डॉ. अमर सिंहः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अन्तर्गत निर्मित आवासों की संख्या कितनी है;
(ख) पीएमएवाई-यू के अंतर्गत आवासों का निर्माण पूरा होने और उन्हें सौंपने से पूर्व बुनियादी ढांचा और आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;
(ग) पीएमएवाई-यू के अंतर्गत पूर्ण हो चुके परंतु रिक्त पड़े आवासों का राज्य और शीर्ष-वार ब्यौरा क्या है तथा उनके खाली रहने के क्या कारण हैं;
(घ) पीएमएवाई-यू के अंतर्गत पूर्ण हो चुके आवासों के आवंटन में तेजी लाने और उनमें पूर्ण अधिभोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और
(ङ) मयिलादुथुराई लोक सभा के निवासियों को सौंपे गए आवासों की संख्या कितनी है और निर्वाचन क्षेत्र में वर्तमान में निर्माणाधीन आवासों की संख्या कितनी है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ हर मौसम में रहने योग्य पक्के आवास प्रदान करने के उद्देश्य से 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है। वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए योजना की अवधि को 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है। पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की सहायता करने के उद्देश्य से देश भर के शहरी क्षेत्रों में

कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 को चार घटकों अर्थात् लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है। इस योजना के दिशा-निर्देशों को athttps://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf पर देखा जा सकता है

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 मांग आधारित योजनाएं हैं। लाभार्थियों द्वारा पसंद किए गए विभिन्न घटकों के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन, परियोजनाओं का निरूपण और निष्पादन, जिसमें पात्र लाभार्थियों को पूर्ण आवासों का आबंटन शामिल है, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा किया जाता है। इस योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, यह अनिवार्य है कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने स्वयं के संसाधनों से या विभिन्न योजनाओं के साथ तालमेल से पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 परियोजनाओं में आंतरिक सड़कों, रास्ते, जल आपूर्ति, सीवरेज/सेप्टेज, जल निकासी, बाहरी विद्युतीकरण आदि जैसे ऑन-साइट इन्फ्रास्ट्रक्चर का प्रावधान करना होगा। परियोजनाओं के तहत आवासीय इकाइयों में एनबीसी/राज्य/स्थानीय प्राधिकरण के मानदंडों के अनुरूप पानी की आपूर्ति, बिजली, रसोई और शौचालय होंगे।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर, मंत्रालय द्वारा योजना की शुरुआत के बाद से पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत 10.43 लाख आवासों सहित कुल 122.06 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है। इनमें से 113.85 लाख आवासों की नींव रखी जा चुकी है और 24.11.2025 तक देश भर में 96.02 लाख आवास पूर्ण किए/सौंपे जा चुके हैं। स्वीकृत, पूर्ण और सौंपे जा चुके आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और घटक-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

पूरे हो चुके आवासों को सौंपा जाना एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, जिसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समय-समय पर आयोजित समीक्षा बैठकों के दौरान उठाया जाता है। आवास सौंपे न जाने के कारणों में जल, सड़क और बिजली जैसी अपूर्ण बुनियादी इन्फ्रास्ट्रक्चर, मौजूदा आजीविका और सामाजिक नेटवर्क से प्रवास या स्थानांतरण की अनिच्छा, लाभार्थी हिस्से में योगदान करने में वित्तीय बाधाएं, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रलेखन और आबंटन में विलंब शामिल हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी जाती है कि वे नागरिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करके और प्राथमिकता के आधार पर लाभार्थियों को आवंटन सुनिश्चित करके पीएमएवाई-यू के तहत आवासों को सौंपने की स्थिति में सुधार करें। मंत्रालय शेष आवासों को पूरा करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर उन्हें लाभार्थियों को सौंपने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करता है।

(ङ) मयिलादुथुराई निर्वाचन क्षेत्र में कुल 6,675 आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें से 6,673 आवासों का निर्माण शुरू किया गया और 6,200 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं।

***

दिनांक 11-12-2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2065 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू-2.0 के तहत स्वीकृत, पूर्ण और सौंपे गए आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और घटक-वार विवरण

क्र. सं.		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वीकृत आवास (संख्या में)				पूर्ण आवास (संख्या में)				सौंपे गए आवास (संख्या में)			
			बीएलसी	एएचपी/आईएसएसआर	सीएलएसएस/आईएसएस	कुल	बीएलसी	एएचपी/आईएसएसआर	सीएलएसएस/आईएसएस	कुल	बीएलसी	एएचपी/आईएसएसआर	सीएलएसएस/आईएसएस	कुल
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	16,12,270	2,69,667	65,984	19,47,921	8,05,542	2,43,181	65,984	11,14,707	8,05,542	1,55,573	65,984	10,27,099
2		बिहार	4,18,175	6,502	20,380	4,45,057	1,71,166	5,644	20,380	1,97,190	1,71,166	5,593	20,380	1,97,139
3		छत्तीसगढ	2,30,245	37,443	38,061	3,05,749	1,91,979	31,639	38,061	2,61,679	1,91,979	17,940	38,061	2,47,980
4		गोवा	5	-	3,167	3,172	5	-	3,167	3,172	5	-	3,167	3,172
5		गुजरात	1,81,603	1,84,540	6,56,580	10,22,723	1,41,721	1,59,720	6,56,580	9,58,021	1,41,721	1,21,423	6,56,580	9,19,724
6		हरियाणा	85,079	2,085	45,462	1,32,626	24,977	1,818	45,462	72,257	24,977	1,802	45,462	72,241
7		हिमाचल प्रदेश	11,415	64	2,538	14,017	9,261	64	2,538	11,863	9,261	46	2,538	11,845
8		झारखंड	1,92,445	35,687	15,213	2,43,345	1,41,395	7,321	15,213	1,63,929	1,41,395	4,869	15,213	1,61,477
9		कर्नाटक	1,73,668	2,96,359	1,07,445	5,77,472	1,43,181	1,47,090	1,07,445	3,97,716	1,43,181	1,06,312	1,07,445	3,56,938
10		केरल	1,27,153	2,153	32,795	1,62,101	1,04,403	1,314	32,795	1,38,512	1,04,403	1,213	32,795	1,38,411
11		मध्य प्रदेश	7,65,554	57,800	1,77,346	10,00,700	6,65,265	46,756	1,77,346	8,89,367	6,65,265	36,345	1,77,346	8,78,956
12		महाराष्ट्र	2,73,886	3,58,750	6,39,483	12,72,119	1,55,873	2,27,738	6,39,483	10,23,094	1,55,873	1,50,774	6,39,483	9,46,130
13		ओडिशा	1,90,163	20,953	12,835	2,23,951	1,43,181	12,269	12,835	1,68,285	1,43,181	6,923	12,835	1,62,939
14		पंजाब	98,781	1,595	49,754	1,50,130	51,306	426	49,754	1,01,486	51,306	124	49,754	1,01,184
15		राजस्थान	1,50,663	41,888	1,53,688	3,46,239	76,444	25,409	1,53,688	2,55,541	76,444	19,976	1,53,688	2,50,108
16		तमिलनाडु	4,05,480	1,52,273	1,21,024	6,78,777	3,74,591	1,21,213	1,21,024	6,16,828	3,74,591	74,857	1,21,024	5,70,472
17		तेलंगाना	1,13,681	1,59,628	88,864	3,62,173	-	1,35,390	88,864	2,24,254	-	91,522	88,864	1,80,386
18		उत्तर प्रदेश	18,71,467	71,420	1,58,164	21,01,051	14,96,463	60,114	1,58,164	17,14,741	14,96,463	26,101	1,58,164	16,80,728
19		उत्तराखंड	27,522	18,496	20,323	66,341	16,952	7,849	20,323	45,124	16,952	4,243	20,323	41,518
20		पश्चिम बंगाल	5,25,499	3,984	88,089	6,17,572	4,08,301	1,084	88,089	4,97,474	4,08,301	404	88,089	4,96,794
उप-कुल (राज्य) :-			**74,54,754**	**17,21,287**	**24,97,195**	**1,16,73,236**	**51,22,006**	**12,36,039**	**24,97,195**	**88,55,240**	**51,22,006**	**8,26,040**	**24,97,195**	**84,45,241**

21	उत्तर पूर्वी राज्य	अरुणाचल प्रदेश	11,737	1,536	73	13,346	6,494	1,536	73	8,103	6,494	320	73	6,887
22		असम	1,83,115	64	3,843	1,87,022	1,35,526	-	3,843	1,39,369	1,35,526	-	3,843	1,39,369
23		मणिपुर	55,811	-	234	56,045	20,357	-	234	20,591	20,357	-	234	20,591
24		मेघालय	6,866	-	205	7,071	2,532	-	205	2,737	2,532	-	205	2,737
25		मिजोरम	37,255	142	2,219	39,616	30,737	142	2,219	33,098	30,737	142	2,219	33,098
26		नागालैंड	29,973	1,054	40	31,067	28,846	702	40	29,588	28,846	670	40	29,556
27		सिक्किम	110	-	189	299	30	-	189	219	30	-	189	219
28		त्रिपुरा	83,448	4,005	2,860	90,313	76,026	1,929	2,860	80,815	76,026	1,929	2,860	80,815
उप-कुल (उत्तर पूर्वी राज्य): -			**4,08,315**	**6,801**	**9,663**	**4,24,779**	**3,00,548**	**4,309**	**9,663**	**3,14,520**	**3,00,548**	**3,061**	**9,663**	**3,13,272**
29	संघ राज्य क्षेत्र	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	23	329	25	377	23	186	25	234	23	-	25	48
30		चंडीगढ़	-	-	1,275	1,275	-	-	1,275	1,275	-	-	1,275	1,275
31		दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	1,098	1,531	7,568	10,197	651	1,531	7,568	9,750	651	1,194	7,568	9,413
32		दिल्ली	-	-	31,346	31,346	-	-	31,346	31,346	-	-	31,346	31,346
33		जम्मू और कश्मीर	40,402	1,272	3,438	45,112	31,015	-	3,438	34,453	31,015	-	3,438	34,453
34		लद्दाख	1,011	369	54	1,434	818	62	54	934	818	62	54	934
35		पुदुचेरी	16,080	-	2,168	18,248	10,303	-	2,168	12,471	10,303	-	2,168	12,471
उप-कुल(यूटी) :-			58,614	3,501	45,874	1,07,989	42,810	1,779	45,874	90,463	42,810	1,256	45,874	89,940
कुल योग :-			**79,21,683**	**17,31,589**	**25,52,732**	**1,22,06,004**	**54,65,364**	**15,84,141***	**25,52,732**	**96,02,237**	**54,65,364**	**13,21,338***	**25,52,732**	**93,39,434**

* इसमें मिशन अवधि के दौरान जेएनएनयूआरएम के पूर्ण आवास (3.42 लाख) और सौंपे गए (4.90 लाख) आवास शामिल हैं।